/160124/2023

ई पत्रावली संख्या–17608

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Chief Eng.
P.W.D., Dehradun

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 09 अक्टूबर,2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग हेतु राजस्व पक्ष की प्रदेश के मार्गों/ पुलियों का अनुरक्षण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-I/122992/2023 दिनांक 18 मई, 2023, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग हेतु अनुदान संख्या-22, के लेखाशीर्षक 3054 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्रदेश के मार्गों/ पुलियों का अनुरक्षण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में ₹250.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 के अन्तर्गत उपरोक्त मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में ₹200.00 करोड़ (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति, निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैंः-

i. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को कम करने का अधिकार नहीं देता है, जिसमें बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा।

ii. उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण, वितरण अधिकारी द्वारा बी0एम0-4 प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह के व्यय का विवरण अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-12 के प्रस्तर-101 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-113 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रकअधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि.) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

iii. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

iv. विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा कि प्राथमिकता के आधार पर अवरूद्ध मार्गों को यातायात हेतु खोलने के लिए मार्गों का अनुरक्षण/रखरखाव कार्य यथा पैच मरम्मत, सामान्य अनुरक्षण, स्कपर, रिटेनिंगवाल आदि का निर्माण/मरम्मत, मलवा सफाई आदि अनुरक्षण कार्यो हेतु अविलम्ब फील्ड अधिकारियों से औचित्यपूर्ण मांग/प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा प्रस्ताव की समीक्षा करने के उपरान्त कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर आवश्यकतानुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। यदि सम्बन्धित उत्तदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने की स्थिति में सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है और शासन के संज्ञान में धनराशि के अभाव में मार्ग अवरूद्ध होने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

v. वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत स्वीकृत किये जा रहे बजट के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा तथा मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली

जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

vi. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग-V के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।

vii. इस सम्बन्ध में सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-I/111469/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

viii. उत्तराखण्ड में लागू समस्त वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के अधीन ही समस्त प्रक्रियायें पूर्ण की जायेंगी तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिये, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शेड्यूल रेट्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

ix. बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूँजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका प्रमाणित विवरण शासन, वित्त अनुभाग-1 तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

x. इस सम्बन्ध में वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु बजट आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। वित्त अनुभाग-1 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में शासन स्तर से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उक्तानुसार राजस्व पक्ष के सुसंगत उप मानक मद में धनराशि में **₹200.00 करोड़ (रूपये दो सौ करोड़ मात्र)** का बजट आवंटन लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22 में आपको आवंटित कोड सं0-4227 में किया जा रहा है। अतः तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-22 के अन्तर्गत 3054 - सड़क तथा सेतु-04 - जिला तथा अन्य सडकें-337– सडक निर्माण कार्य03- अनुरक्षण एवं मरम्मत-03 01-**प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य-00-51**-**अनुरक्षण** में उल्लिखित इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

3 - ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/111469/2023 दिनांक 31 मार्च,2023 द्वारा प्रतिनिधानित व्यवस्थान्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- बजट एलॉटमेणट आई.डी.।

भवदीय

Signed by Shyam Singh
Date: 09-10-2023 16:18:15

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साइबर ट्रेजरी), 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड बुक।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/160124/2023
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23100220016
आवंटन पत्र दिनांक-09-OCT-2023

लेखा शीर्षक		
	3054-सड़क तथा सेतु	04-जिला और अन्य सड़कें
	337-सड़क निर्माण कार्य	03-अनुरक्षण एवं मरम्मत
	01-प्रदेश के मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य	Voted

3	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
51-अनुरक्षण	2500000000	2000000000	0	4500000000
योग	2500000000	2000000000	0	4500000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,00,00,00,000 (Rupees Two Hundred Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–I" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 1212 / 20 याता0'क'नियो0–1 / 2023 दिनांक– 20 .10.2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
3. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून